28.01.2025 वकील उभय पक्ष उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 10, 12 व 14 गुरविन्द्र सिंह, जसविन्द्र सिंह व दलजीत सिंह द्वारा दिनांक 27.11.2024 को उपस्थित आकर अपने अधिवक्ता श्री संजय जनेजा के मार्फत तथा अप्रार्थी संख्या 9 गुरप्रीत सिंह द्वारा अपने अधिवक्ता सतपाल सिंह के मार्फत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 151 सी पी सी का पेश किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने दिनांक 06.05.2024 को माननीय न्यायालय से उक्त प्रकरण में एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली है। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा बिना विरोधी पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिये पारित की गई है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 3 क में यह स्पष्ट प्रावधान है कि जहां व्यादेश विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना पारित किया गया है, वहां प्रकरण 30 दिवस के भीतर निपटाना अनिवार्य है। प्रार्थीगण ने अपने वाद पत्र में मुख्य रूप से अन्य प्रतिवादीगण से अनुतोष चाहा है। अप्रार्थीगण संख्या 9, 10, 12 व 14 को संयुक्त खातेदार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थीगण संख्या 9, 10, 12 व 14 का वादग्रस्त आराजी में संयुक्त खाता में हक व हिस्सा बनता है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 9, 10, 12 व 14 काबिज चले आ रहे हैं। अप्रार्थीगण संख्या 9, 10, 12 व 14 अपनी–अपनी भूमि का अभिलिखित खातेदारान है तथा शांतिपूर्वक काबिज चले आ रहे है तथा कानूनन अभिलिखित खातेदार के खिलाफ निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती है। वाद पत्र में अंकित कथनों के आधार पर प्रार्थीगण/वादीगण केवल अपने हक व हिस्सा को ही सुरक्षित करने की मांग की गई हैं तथा उनके द्वारा केवल 5 बीघा 10 बिस्वा रकबा पर ही स्थगन की मांग की गई है और माननीय न्यायालय द्वारा जो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई वह भी प्रार्थीगण के हक व हि[illegible] ही जारी की गई है। स्थगन आदेश के [illegible]र अप्रार्थीगण संख्या 9, 10, 12 व 14 [illegible]नीय न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रभ[illegible] नहीं है, मगर जमाबन्दी में अस्थाई निषेधाज्ञा का अंकन हो जाने के कारण अप्रार्थीगण संख्या 9, 10, 12 व 14 को परेशानी उठानी पड़ रहीं है। अन्त में निवेदन किया उक्त प्रकरण में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा के

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:10:11 IST
Reason: Self Attested

सम्बन्ध में आदेशित किया जावे कि उक्त आदेश (अस्थाई निषेधाज्ञा) अप्रार्थीगण संख्या 9, 10, 12 व 14 की हद तक प्रभावी नहीं होगी। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। अधिवक्तागण अप्रार्थीगण संख्या 9, 10, 12, 14 ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण संख्या 9, 10, 12 व 14 की हद तक अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त की जावे। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में सहमति व्यक्त की। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 06.05.2024 को जारी की गई है, मगर समस्त पक्षकारान की अभी तक तलबी नहीं हुई है तथा पत्रावली अभी तलबी अप्रार्थीगण/जवाब की स्टेज पर लम्बित हैं। समस्त पक्षकारान की तलबी के पश्चात ही मूल प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित किया जा सकता है। चूंकि अप्रार्थीगण संख्या 9, 10, 12, 14 वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार हैं। अभिलिखित खातेदार को उसके हक वा हिस्सा की भूमि का उपयोग उपभोग व विक्रय करने से अवरोधित नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण संख्या 9, 10, 12, 14 स्वीकार किए जाने योग्य है। अतः इस न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में दिनांक 06.05.2024 को पारित अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को अप्रार्थीगण संख्या 9, 10, 12 व 14 (गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री नायब सिंह, गुरविन्द्र सिंह, जसविन्द्र सिंह, दलजीत सिंह पुत्रगण जगराज सिंह) की हद तक निरस्त किया जाता है।

पत्रावली वास्ते जवाब व [illegible] लिए अन्य अप्रार्थीगण दिनांक 20.10.25 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:10:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर